न्यायालय सहायक कलक्टर इटावा जिला कोटा राज०

पीठासीन अधिकारी – रामनिवास मेहता आर०ए०एस०

मिसल संख्या
83/2023

तारीख दायरा
14/08/2023

तारीख फैसला
10/2/2025

1. रमेशचन्द पुत्र श्री रामप्रसाद जाति मीना निवासी मूंगैना तह० पीपल्दा जिला कोटा राज०
2. फोरन्ती बाई पुत्री रामप्रसाद जाति मीना निवासी मूंगैना तह० पीपल्दा जिला कोटा राज०

–वादीगण

बनाम

1. राजस्थान सरकार जरियें तहसीलदार साहब पीपल्दा जिला कोटा राज०
2. दाखां बाई पुत्री जगन्नाथ पत्नि सूरजमल जाति मीणा निवासी मूंगैना हाल सुमेरपुरा तह० पीपल्दा जिला कोटा राज०
3. प्रेम पुत्री जगन्नाथ पत्नि शंकरलाल निवासी मुंगैना हाल निवासी झाडौल तह० पीपल्दा जिला कोटा राज०
4. छगनलाल पुत्र जगन्नाथ जाति मीणा निवासी मूंगैना तह० पीपल्दा जिला कोटा
5. रामकरण पुत्र जगन्नाथ जाति मीणा निवासी मूंगैना तह० पीपल्दा जिला कोटा

–प्रतिवादीगण

वाद पत्र अन्तर्गत धारा 88, 89 आर. टी. एक्ट

निर्णय दिनांकः– 10/2/25

संक्षेप में विवरण इस प्रकार है कि वाके ग्राम मूंगैना पटवार हल्का बिनायका तह० पीपल्दा जिला कोटा राज० में वादीगण व प्रतिवादी कम 2 ता 5 के सयुंक्त खातेदारी की कृषि भूमि आराजी खसरा नं. 370 रकबा 0.06 है०, ख.नं. 392 रकबा 0.12 है0, ख.नं. 403 रकबा 1.24 है०, ख.नं. 563 रकबा 1.89 है०, ख.नं. 564 रकबा 2.41 है0 कुल 5 किता कुल रकबा 5.72 हैक्टर कृषि भूमियें स्थित हैं जिसमें सभी खातेदारान हिस्से के अनुसार काबिज काश्त चले आ रहे है। यह कि राजस्व अधिकारीयों द्वारा त्रुटिपूर्ण अंकन करते हुये उपरोक्त कृषि भूमियों 2. वादीगण के पिता का नाम रामप्रताप दर्ज कर दिया हैं जो कि गलत हैं। जबकि वादीगण के पिता का सही नाम रामप्रसाद हैं। परिवार राशन कार्ड, आधार कार्ड, जनआधार कार्ड, मतदाता पहचान पत्र, जॉबकार्ड (नरेगा) में वादीगण के पिता का नाम रामप्रसाद दर्ज है। यह कि राजस्व रिकॉर्ड में वादीगण के पिता का नाम रामप्रसाद के स्थान पर रामप्रताप दर्ज हैं जिससे वादीगण को सरकारी सहायता, फसल मुआवजा, फसल ऋण, सहकारी ऋण, केसीसी आदि

Ramniwas
सहायक कलक्टर
इटावा जि० कोटा (राज

में परेशानी आती है। इसलिए राजस्व रिकॉर्ड में वादीगण रमेशचन्द पुत्र रामप्रताप के स्थान पर रमेशचन्द पुत्र रामप्रसाद तथा फोरन्ती बाई पुत्री रामप्रताप के स्थान पर फारेन्ती बाई पुत्री रामप्रसाद करवाने के अधिकारी है। यह कि खातेदार रामनाथी पत्नि स्व० जगन्नाथ जाति मीना निवासी मूगैना की मृत्यु हो चुकी हैं जिसमें विधिक वारिसान वादीगण है। इसलिए रामनाथी बाई को वाद पत्र में पक्षकार नहीं बनाया है। यह कि प्रतिवादी कम 1 राजस्थान सरकार में प्रतिनिधी व लेण्ड होल्डर हैं जिनको वाद में पक्षकार बनाया गया हैं, जिनके विरूद्ध वाद लाने के लिए 80 सीपीसी के प्रावधानों के तहत 2 माह की मियाद का नोटिस दिया जाना आवश्यक हैं लेकिन वाद पत्र आवश्यक प्रकृति का हैं इसलिए वाद पत्र 80 (2) सीपीसी के प्रावधानों के तहत प्रस्तुत किया जा रहा हैं अनुमति प्रार्थना पत्र पृथक से प्रस्तुत है। यह है कि वाके ग्राम मूंगैना तह० पीपल्दा जिला कोटा राज० के स्थित कृषि भूमि आराजी (अ)रा नं. 370 रकबा 0.06 है०. खा. नं. 392 रकबा 0.12 है०, ख.नं. 403 रकबा 1.24 है0 खसरा 563 रकबा 1.89 है०, ख.नं. 564 रकबा 2.41 है० कुल 5 किता कुल रकबा 5.72 है० हेक्टर कृषि भूमियों में वादीगण का नाम रमेशचन्द पुत्र रामप्रताप के स्थान पर रमेशचन्द पुत्र रामप्रसाद तथा फोरन्ती बाई पुत्री रामप्रप्रताप के स्थान पर फोरन्तीबाई पुत्री रमेशचन्द दर्ज किया जावे तथा तदनानुसार राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद किया जाये।

वादी की ओर से वाद श्री गिरिराज कुशवाह एड0 ने पेश किया। रिपोर्ट सरिस्ता का अवलोकन किया गया। वाद दर्ज रजि0 किया जाकर प्रतिवादीगण की तलबी जर्ये सम्मन की गई। प्रतिवादीकम 2, 3 ,5 की ओर से नन्दकिशोर कुशवाह एड0 ने वकालतनामा पेश किया। जवाब पेश किया। शामिल पत्रावली किया गया। प्रतिवादीकम 1 व 4 की तलबी जर्ये रजि0 ए0डी0 की गई। प्रतिवादीकम 4 बावजूद सूचना अनुपस्थिति होने पर प्रतिवादीकम 4 के विरूद्ध एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई गई। प्रतिवादीकम 1 को जवाब में काफी अवसर दिए जाने के बावजूद जवाब पेश नहीं होने पर प्रतिवादीकम 1 के विरूद्ध एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई गई। वादीकम 1 व 2 के अधिवक्ता गिरिराज कुशवाह की एकपक्षीय बहस सुनी गई।

पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों का अवलोकन मनन किया गया। पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेज परिवार राशन कार्ड, आधार कार्ड, जनआधार कार्ड, मतदाता पहचान पत्र, जॉबकार्ड (नरेगा) में वादीगण के पिता का नाम रामप्रसाद दर्ज है। अतः वादीगण का नाम रमेशचन्द पुत्र रामप्रताप के स्थान पर रमेशचन्द पुत्र रामप्रताप उर्फ रामप्रसाद तथा फोरन्ती बाई पुत्री रामप्रताप के स्थान पर फोरन्ती बाई पुत्री रामप्रताप उर्फ रामप्रसाद करना उचित होगा। अतः प्रतिवादीकम 1 को आदेश दिया जाता है कि वाके माल ग्राम मूंगैना तह० पीपल्दा जिला कोटा राज० के स्थित कृषि भूमि आराजी खसरा नं. 370 रकबा 0.06 है०. ख.नं. 392 रकबा 0.12 है०, ख.नं. 403 रकबा 1.24 है0 खसरा 563 रकबा 1.89 है०, ख.नं. 564 रकबा 2.41 है० कुल 5 किता कुल रकबा 5.72 है० हेक्टर कृषि भूमियों में वादीगण का नाम रमेशचन्द पुत्र रामप्रताप के स्थान पर रमेशचन्द पुत्र रामप्रताप

सहायक कलक्टर
इटावा जि० कोटा (राज०)

उर्फ रामप्रसाद तथा फोरन्ती बाई पुत्री रामप्रताप के स्थान पर फोरन्ती बाई पुत्री रामप्रताप उर्फ रामप्रसाद राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद किया जावे। तदनुसार डिक्री जारी हो।

निर्णय आज दिनांक 10/2/25 खुले न्यायालय सुनाया गया।

सहायक कलक्टर

सहायक कलक्टर
छबड़ा जिला बारां (राज०)

न्यायालय सहायक कलक्टर इटावा जिला कोटा राज०

डिकी मुकदमा इब्ताई
(आ 20 रूल 6–7 जाब्ता दीवानी)

अज अदालत सहायक कलक्टर इटावा जिला कोटा
पीठासीन अधिकारी– रामनिवास मेहता आर०ए०एस०

मिसल संख्या	तारीख दायरा	तारीख फैसला
83/2023	14/08/2023	10/2/2025

1. रमेशचन्द पुत्र श्री रामप्रसाद जाति मीना निवासी मूंगैना तह० पीपल्दा जिला कोटा राज०
2. फोरन्ती बाई पुत्री रामप्रसाद जाति मीना निवासी मूंगैना तह० पीपल्दा जिला कोटा राज०

–वादीगण

बनाम

1. राजस्थान सरकार जरियें तहसीलदार साहब पीपल्दा जिला कोटा राज०
2. दाखां बाई पुत्री जगन्नाथ पत्नि सूरजमल जाति मीणा निवासी मूंगैना हाल सुमेरपुरा तह० पीपल्दा जिला कोटा राज०
3. प्रेम पुत्री जगन्नाथ पत्नि शंकरलाल निवासी मूंगैना हाल निवासी झाडौल तह० पीपल्दा जिला कोटा राज०
4. छगनलाल पुत्र जगन्नाथ जाति मीणा निवासी मूंगैना तह० पीपल्दा जिला कोटा
5. रामकरण पुत्र जगन्नाथ जाति मीणा निवासी मूंगैना तह० पीपल्दा जिला कोटा

–प्रतिवादीगण

<u>वाद अर्न्तगत धारा 88, 89 आर०टी०एक्ट</u>

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिलाल कतई रूबरू बहाजिरी श्री गिरिराज कुशवाह एडवोकेट मिनजानिब मुद्दई रूबरू................. मिनजानिब मुद्दालयह पेश होकर हुक्म दिया जाता है कि वाद वादी स्वीकार किया जाकर वाके माल ग्राम मूंगैना तह० पीपल्दा जिला कोटा राज० के स्थित कृषि भूमि आराजी खसरा नं. 370 रकबा 0.06 है०. ख.नं. 392 रकबा 0.12 है०, ख.नं. 403 रकबा 1.24 है0 खसरा 563 रकबा 1.89 है०, ख.नं. 564 रकबा 2.41 है० कुल 5 किता कुल रकबा 5.72 है० हेक्टर कृषि भूमियों में वादीगण का नाम रमेशचन्द पुत्र रामप्रताप के स्थान पर रमेशचन्द पुत्र रामप्रताप उर्फ रामप्रसाद तथा फोरन्ती बाई पुत्री रामप्रताप के स्थान पर फोरन्ती बाई पुत्री रामप्रताप उर्फ रामप्रसाद राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद किया जावे। तदनुसार डिकी जारी की जाती है।

Ramniwas
सहायक कलक्टर
इटावा जि० कोटा (राज०)

डिक्री मेरे दस्खत व मोहर से आज दिनांक 10/2/25 को जारी किया गया।

निर्णय खुले न्यायालय में लिखवाया जाकर सुनाया गया।

मिलान स्टाम्प अर्जी दावा			स्टाम्प अर्जी दावा		
मुददई	रूपये	पैसे	मुदायलह	रूपये	पैसे
स्टाम्प वकालतनामा			स्टाम्प अर्जी		
स्टाम्प वजूह सबूत			स्टाम्प अर्जी		
मेहनताना वकील			मेहनताना वकील		
खर्चा गवाहान			खर्चा गवाहान		
बाबत इजराय हुक्मनामा			बाबत इजराय हुक्मनामा		
मुत0			मुत0		
मिलान			मिलान		

सहायक कलक्टर
इटावा जिला कोटा (राज0)
सहायक कलेक्टर
इटावा जि0 कोटा